न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी का नाम — मनमोहन मीना RAS

प्रार्थना पत्र सं. 8 /2020 — दायर दिनांक :—13.03.2020

उनवान

तहसीलदार भुसावर बनाम सौमोती बगै0

अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 शुद्धि

निर्णय दिनांक :— 20-3-20

तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नक्शा लठ्ठा ग्राम चैंटोली संवत 1985 में आ.ख.नं0 482, 483, 484, दर्ज है सहवन से नवीन नक्शा सीट ग्राम चैंटोली सन् 2005 में नवीन ख0 नं0 654, 655, 656, 657, गलत जगह स्थापित है। नक्शा लठ्ठा संवत 1985 के मुताविक नवीन नक्शा सीट सन् 2005 में ख0 नं0 654, 655, 656, 657, में प्रस्तावित नजरी नक्शा के मुताविक शुद्धि हेतु निवेदन तहसीलदार भुसावर द्वारा किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तामील जरिये नोटिस तहसीलदार भुसावर द्वारा कराई गई। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार भुसावर को सुना गया।

तहसीलदार भुसावर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में DILRMP के तहत तहसील में सेग्रीगेशन का कार्य चल रहा है और तहसील को DILRMP योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन किये जाने हेतु आ रही तकनीकी खामियों को दूर करना अनिवार्य है।

अतः DILRMP योजना अन्तर्गत तहसील को आनलाइन करने हेतु अग्रिम आदेश तक अन्तरिम और अस्थाई रूप से तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत पृष्ठाकित प्रस्ताव अनुसार ग्राम चैंटोली के नक्शा लटठा संवत 1985 में आ.ख.नं0 482, 483, 484, को नक्शा लटठा 1985 के मुताबिक नक्शे में स्थापित करने की स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है यदि इस बावत किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। निर्णय सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर